

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पंचवारा दौसा

हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म

कमिश्नरियत राजस्थान सरकार द्वारा 128 LRA/20

विद्वान अधिवक्ता श्री  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया।  
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी अप्रार्थीगण कि जारी होकर  
पत्रावली दिनांक 27/7/20 को पेश हो।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ पंचवारा (दौसा)

पत्रावली पेश हुई प्रकरण 21/7/20 को दर्ज किया गया।  
इस प्रकार पत्रावली दिनांक 27/7/20 को पेश है।

27/7/20 पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत पत्रावली का  
अवलोकन एवं मनन कितां पत्रावली का  
संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि  
प्राप्त सजोरे हुए फौजदारी केस भी न  
मिचाली अफसर इमर हकीम अहमद  
इत्यादि विषय प्रति सजोरे हुए फौजदारी केस  
वाकेशाम अफसर इमर हकीम की पेशवाई  
करवाने हेतु। अन्तर्गत धारा 128 LRA/20  
अहकाम के अन्तर्गत पत्रावली केस की अपनी  
स्वादेवारी शक्ति की पेशवाई करवाने  
बाद ही प्राप्त वाकेशाम अफसर का रिमांड

प्रयोग है जो कायम रूप से स्थायी  
 रूप में ही प्रदर्शित करवाये जाने का  
 उद्देश्य है।  
 अतः प्रयोग में प्रयुक्त अन्वयित धातु  
 1. प्रयोग में लक्ष्य स्वीकार करने योग्य  
 होने से स्वीकार किया जाता है।  
 वही लक्ष्य स्वीकार को प्रकृत रूप  
 में ही है कि आप प्रयोग को  
 स्वीकार करेंगे कि अन्वयित स्वीकार  
 प्रयोग के प्रदर्शित करवाये  
 जाना अनिवार्य है। आवश्यक होने  
 पर ही प्रयोग प्रकृत करवाये।  
 अतः प्रयोग प्रकृत करवाये।

प्रमाणित  
 प्रमाणित प्रमाणित